महत्वपूर्ण एवं खास

लाक डाउन के दौरान बिना अनुमति चिकन बेचने वाला गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। लाकडाउन के दौरान गांधी मैदान कालीबाड़ी से वाहन क्रमांक सीजी 08 एएम 0334 का वाहन चालक द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर खुलेआम मूर्गा वाहन खड़ी कर भीड़ लगाकर उल्लंघन किया गया। उक्त मामले में कोतवाली थाने ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है।

टैक्सी लेकर सवारी खोजने वाला चालक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के चलते पूरे प्रदेश में इन दिनों लाक डाउन घोषित किया गया है बावजूद इसके लोग लाक डाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मौहदापारा थाने से मिली जानकारी के अनुसार संजीत सिंह आयु 31 वर्ष पिता अवध बिहारी सिंह द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर इनोवा कार क्रमांक सीजी 04 -एचए 6600 अपने कार चालक फिरोजखान 49 वर्ष पिता मोहम्मद हाजी मोहम्मद के साथ लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स के पास सवारी खोजते पाया गया। उक्त मामले में थाने में आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है।

लाक डाउन का उल्लंघन कर 40 मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। लाक डाउन के दौरान अलंकार स्टील में काम करने वाला राजकुमार अग्रवाल आयु पीके साहू, जयराम साहू जोनी जांगड़ा आदि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किसी भी वाहन को शशि कपूर उइके आयु 22 वर्ष पिता बलदेव उइके द्वारा ट्रक चालक क्रमांक सीजी 08 एल/3896 को किराये पर मजदूरों को ले जाने पर मना करने के बावजूद भी 40 मजदूरों को टाटीबंध आमानाका से मंडला ट्रक में बैठाकर ले जा रहा था। उक्त मामले में जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने पर आमानाका थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 34 के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार किया है।

3 बॉटल अंग्रेजी शराब जब्त

रायपुर (आरएनएस)। लाक डाउन के दौरान भी शराब के शौकिनों को शराब आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से मदिरा पहुंचाने का कारोबार जारी है। तेलीबांधा थाने से मिली जानकारी के अनुसार दुर्गेश लोनहारे आयु 25 वर्ष पिता लूनकरण लोनहारे से घटनास्थल व्हीआईपी रोड तेलीबांधा से 3 बॉटल अंग्रेजी शराब अवैध रूप से ले जाते हुए जब्त किया गया है। उक्त मामले में तेलीबांधा थाने ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34-1 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

रामनाथ भीमसेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिए 21 लाख रूपए का चेक सीएम रिलिफ फंड में दिया

रायपुर (आरएनएस)। रामनाथ भीमसेन चैरिटेबल ट्रस्ट रायपुर द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास दुबे के माध्यम से 21 लाख रुपए सौंपा गया है। बता दे कि यह सहयोग राशि आशीष अग्रवाल,प्रमोद अग्रवाल एवं कमल अग्रवाल ने दी है। कोरोना से लड़ने के लिए संपूर्ण प्रदेशवासी एकजुट हो गए है।

गोयल ग्रुप आफ कम्पनीज ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए 71 लाख रूपए

» 50 लाख कंपनी ने और 21 लाख रूपए कर्मचारियों की ओर से दिया गया दान

रायपुर। कोरोना महामारी के दौरान राहत कार्यों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए गोयल ग्रुप आफ कम्पनीज ने 71 लाख रूपए की सहयोग राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है। गोयल ग्रुप आफ कम्पनीज के चेयरमेन श्री सुरेश गोयल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कम्पनी की ओर से 51 लाख तथा कम्पनी के कर्चचारियों द्वारा एक दिन के वेतन 21 लाख रूपए का चेक प्रेषित किए है। श्री गोयल ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस महामारी से न केवल लोगों के स्वास्थ्य बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में लोगों को त्वरित सहायता की आवश्यकता के मद्देनजर गोयल ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा कुल 71 लाख रूपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान जनता की नब्ज जानने फोन पर लोगों से की बातचीत

» कहा गांव में कोई भी भूखा ना रहेः राज्य सरकार जनता के साथ है, पूरी मदद करेंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लॉक डाउन के दौरान जनता की नब्ज जानने के लिए फोन पर सीधे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की और उन्हें आ रही दिक्कतों के सम्बंध में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अपने निवास से फोन के जरिये इनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए पूरे प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले किसान, मजदूर, नर्स, ग्रामीण, सफाईकर्मी, सब्जी दुकानदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला सरपंच से बातचीत की।

जूजगु ग्राम पंचायत में लोगों के घर पहुंचाकर दिया जा रहा है राशन

मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले की ग्राम पंचायत जूजगु की महिला सरपंच श्रीमती कुंती बनवासी से फोन पर पूछा कि उनकी ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकान से राशन मिलना शुरू हुआ है या नहीं। श्रीमती कुंती ने बताया कि दो माह के राशन का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। लोगों को घर पहुंचाकर चावल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि राशन पहुंचाते समय यह भी ध्यान

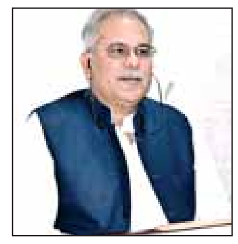

रखें कि ज्यादा भीड़-भाड़ ना हो। मुख्यमंत्री ने स्कूलों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन की सामग्री और आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषण आहार वितरण के संबंध में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने सरपंच से यह ध्यान रखने के लिए कहा कि गांव में कोई भूखा न सोए। श्रीमती कुंती ने बताया कि गांव में तीन ऐसे लोग हैं जिनके राशनकार्ड नही बने हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत में रखे गए दो क्विंटल चावल में से चावल देने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर चावल खत्म हो जाए तो अतिरिक्त चावल अधिकारियों से बोलकर प्राप्त कर लें। श्री बघेल ने गांवों में साफ-सफाई का ध्यान रखने और यदि गांव में किसी के कोरोना संक्रमण होने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

श्री बघेल ने गांवों में खेती किसानी के काम और दुग्ध उत्पादन की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह जनता के साथ है और हर संभव मदद करेगी। श्रीमती कुंती ने मुख्यमंत्री को उनकी ग्राम पंचायत जूजगु आने का न्यौता दिया।

» मुख्यमंत्री ने कहा, संकट की इस घड़ी में सरकार है आपके साथ
» किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे अशोक ने कहा मुख्यमंत्री के फोन से मिला संबल

पंचर बनाने वाले अशोक को आया मुख्यमंत्री का फोन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का फोन आज भिलाई 3 के एकता नगर, वार्ड 8 के निवासी साईकल एवं पंचर सुधारने वाले श्रमिक श्री अशोक कटाने के पास आया। मुख्यमंत्री ने अशोक से कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों का कुशल-क्षेम जानने वे फोन से संपर्क कर रहे हैं और हर तबके से संपर्क कर रहे हैं ताकि उनका संबल बढ़ा सकें। इस परिस्थिति में शासन द्वारा लोगों को संकट से उबारने अनेक कदम उठाये गए हैं। इनका लाभ उन्हें किस तरह से मिल रहा है। यह जानने फोन किया है।

अशोक ने मुख्यमंत्री को बताया कि जैसे ही लॉक डाउन हुआ, निगम के अधिकारी उनसे मिले और कहा कि आप घर में रहें, यदि खाने-पीने का संकट हो तो बताएं। निगम द्वारा स्वयं के स्तर पर भी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। अशोक ने मुख्यमंत्री को

बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2 महीने का चावल उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध कराया गया है। इसे कल जाकर लेना है। अशोक ने बताया कि प्रशासन द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। उन्हें राशन तथा लंच पैकेट दिलवाए जा रहे हैं। सभी आश्वस्त हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था से लॉक डाउन का समय काटने में दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। आप सभी को आश्वस्त करूँ इसलिए फोन लगाया है। अशोक ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, जब प्रदेश के मुखिया का फोन आया। इससे उन्हें बहुत संबल मिला है।

लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ देगा मुफ्त घर पहुंच सेवा

» मोबाईल मिल्क पार्लर की भी मिलेगी सुविधा- समय सारणी तय

रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में राज्य सरकार ध्यान रख रही है कि लोगों को आवश्यक सामान की कमी न हो। इसके लिए लोगों को निरंतर घर पहुंच सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित 500 रूपये तक का डेयरी सामान मंगाने पर मुफ्त घर पहुंच सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए वाट्सअप नंबर 9827726833 पर सामान

मंगवाया जा सकता है। डेयरी सामान के लिए रात 10 बजे तक मांग प्राप्त होने पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच सामान पहुंचाया जाएगा तथा सुबह 10 बजे तक मांग प्राप्त होने पर शाम 5 से 7 बजे के बीच सामान घर पहुंचाया जाएगा। दुग्ध महासंघ 500 रूपये में 2 लीटर टोन्ड दूध, 400 ग्राम पनीर, 100 मिली लीटर घी, 4 कप छेना रबरी, 5 पैकेट छाछ, 400 ग्राम दही और 12 ग्राम के 10 पैकेट डेरी वाइटनर उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही मोबाइल मिल्क पार्लर की समय सारणी भी तय कर दी गई है। सोमवाार, बुधवार और शुक्रवार को राजधानी में सुबह 10.30 से 11.15 तक ला विस्ता सोसायटी अमलीडीह, सुबह 11.30 से 12.15 तक अशोका रतन शंकर नगर, दोपहर 2.30 से 3.30 तक सूर्या अपार्टमेण्ट कटोरा तालाब में मोबाईल मिल्क पार्लर की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

शराब दुकान-पंजीयन कार्यालय सात अप्रैल तक रहेंगे बंद

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य में जारी लॉक डाउन के मद्देनजर प्रदेश भर के पंजीयन कार्यालय और शराब दुकानों को सात अप्रैल तक नहीं खोला जाएगा।

इस आशय का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। लॉकडॉउन अवधि पहले 31 मार्च तक तय की गई थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि 01 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा 14 अप्रैल तक लॉक डाउन को बढ़ा देने के बाद से ही राज्य सरकारों के निर्धारित कार्यक्रम और निर्णय गड़बड़ा गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केन्द्र

» भूमि-भवन की रजिस्ट्री के लिए अभी और इंतजार

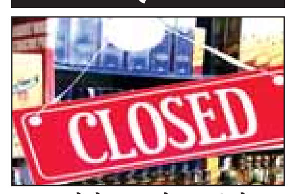

सरकार ने देश भर में 21 दिनों का लॉक डाउन लगा दिया है। इसके चलते राज्य सरकार के समस्त विभाग और इनके कामकाज लगभग ठप हो गए हैं। केवल उच्चस्तर पर ही कामकाज चल रहा है।

घर पहुंचाया जा रहा हेल्दी रेडी-टू-ईट फूड

अबूझमाड़ 17 हजार 900 बच्चों, गर्भवती महिलाओं के के पोषण का रखा जा रहा ख्याल

रायपुर। अबूझमाड़17 हजार 900 बच्चों, गर्भवती महिलाओं के के पोषण का रखा जा रहा ख्याल पूरा देश कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से लड़ रहा है। वायरस से बचाव के लिए प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केन्द्र भी अस्थायी रूप से बंद है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का पूरा ध्यान रख रही है। दूरस्थ नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र के नारायणपुर जिले में भी 19 महिला स्वसहायता समूह और आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती-शिशुवती महिलाओं को उनके घर-घर जाकर हेल्दी रेडी-टू-ईट फूड का सफलता के साथ वितरण कर रही हैं। साथ ही वह कोरोना वायरस से बचाव के प्रति बच्चों

और महिलाओं के साथ ग्रामीणों को भी जागरूक करने में पूरा सहयोग कर रही हैं। बच्चों को साफ-सफाई, हाथ धोने एवं सोशल डिस्टेंसिंग(सामाजिक दूरी) रखने के बारे में बता रही है। जिले की 556 आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों, गर्भवती और शिशुवती समेत कुल 17 हजार 918 हितग्राहियों को हेल्दी रेडी-टू-ईट फूड घर-घर जाकर दिया जा रहा है। इससे पहले सभी लोगों को एक-एक सप्ताह का फूड भी दिया गया है। जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री रविकांत ध्रुर्वे ने बताया कि अप्रेल माह में भी सभी 17 हजार 918 महिलाओं और बच्चों को एक-एक माह का हेल्दी रेडी-टू-फूड का वितरण किया जाएगा। उन्होनें बताया कि जिले में 6 माह से 36 माह के सामान्य बच्चों की संख्या 6 हजार 287, छः माह से 36 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 1 हजार 731 और 3 वर्ष से 6 साल के सामान्य बच्चों की संख्या 5 हजार 959 और इसी आयु वर्ग के गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या एक हजार 46 है।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णयः कक्षा पहलीं से 8वीं तथा 9वीं व 11वीं छात्रों को मिला जनरल प्रमोशन

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा पहली से 8वीं स्तर तक तथा कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति (जनरल प्रमोशन) दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग को प्रदान की अनुमति

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन द्वारा 19 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। इसके बाद 20 मार्च से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा 24 मार्च से संपूर्ण भारत को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इतने लंबे समय तक स्कूल बंद होने के कारण शालाओं में स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कक्षा पहली से 8वीं एवं कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की संपन्न नहीं कराई जा सकी। निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित कर पाना संभव भी प्रतीत नहीं होता।

इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा पहली से 8वीं तक तथा कक्षा 9वीं और 11वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति (जनरल प्रमोशन) देने का निर्णय लिया है।

हाइकोर्ट ने राज्य शासन को दिया निर्देश आवश्यक सामानों की कालाबाजार पर तत्काल लगाए रोक

रायपुर/बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लॉ की स्टूडेंट की पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कोरोना के खौफ के मध्य आवश्यक सामानों की कालाबाजारी पर प्रभावी ढ़ंग से रोक लगाई जाएं। इसके साथ ही सैनिटाइजर और मॉस्क की बाजार में उपलब्धता कराए।

बता दे कि रायपुर लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट ने हाईकोर्ट के चीफजस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मध्य बाजार से सैनिटाइजर,मास्क समेत अन्य सामाने गायब हो गई है। जिन दुकानदारों के पास आवश्यक सामाने मौजूद है वे भी बाजार में कमी बताकर कालाबाजारी कर रहे है। जिसका खामियाजा आम लोगो को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जिन सामानों का उपयोग जरूरी है। वे भी मार्केट में अधिक दर में बिक रहे है। लोग अपना बचाव करना चाहते हैं। सैनिटाइजर और मास्क लेने लोग दुकान–दुकान भटक रहे हैं। दुकानदार सामान नहीं दे रहे हैं। वहीं रोजाना उपयोग में लाई जाने वाली घरेलू वस्तुओं की दरों में भी वृद्धि कर रिटेलर जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जिस पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। लॉक डाउन के कारण खरीदारी के लिए समय

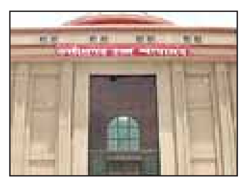

सीमा तय की गई है। तय समय में ही सामान खरीदना पड़ रहा है। इसका फायदा रिटेलर उठा रहे हैं। पत्र को चीफजस्टिस ने गंभीरता से लेते हुए पत्र याचिका के रुप में स्वीकार करने का आदेश जारी किया था। मामले की सुनवाई बीते दिनों जस्टिस प्रशांत मिश्रा व एम एम श्रीवास्तव के खंडपीठ में हुई। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर आवश्यक वस्तुओं की हो रही कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी करने और प्रभावी कार्रवाई करने कहा है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता: इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां: मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु: प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें: संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु:
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU